

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

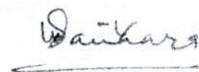
(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण)
अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

विषय :- छ.ग.राज्य के विभिन्न निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित बैचलर ऑफ नैचुरोपेथी एंड यौगिक साइंस (बी.एन. वाय.एस.) 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण/पुनर्निर्धारण ।

संकल्प दिनांक - 18/09/2026

- छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे “अधिनियम, 2008” से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है।
- उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों के तहत ए.एफ.आर.सी इस संकल्प द्वारा निम्नांकित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रम अनुसार फीस का निर्धारण अंतिम रूप से किया जा रहा है :-

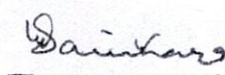
स. क्र.	संस्था/ महाविद्यालय का नाम एवं पता	वर्ष जिसके लिए फीस का अंतिम निर्धारण किया गया	पाठ्यक्रम का नाम
1.	श्री महावीर मेडीकल कॉलेज ऑफ नैचुरोपेथी एंड यौगिक साइंस पारस नगर, नगपुरा, जिला - दुर्ग (छ.ग)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	बी.एन.वाय.एस.


3. फीस के निर्धारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश में पूर्व में गठित झा समिति की अनुशंसाओं एवं अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) में वर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा गया है।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (Islamic Academy of Education Vs. State of Karnataka) के प्रकरण में शुल्क के संबंध में जो मुख्य बिन्दु फीस निर्धारण हेतु वर्णित किये हैं, जिसका उल्लेख पैरा-154 एवं 198 में किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

154. The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of the institution, investment made, future plan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.

198. Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admission to the most eligible

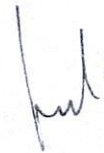
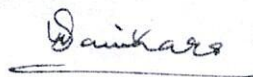


candidates, requiring merit in a poor country like ours, the tuition and other fees should be within the reach of common people.

5. इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा T.M.A. PAI FOUNDATION Vs.STATE OF KARNATAKA (2002) 8 SCC 481 का न्याय दृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए हैं:-

56. Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money

57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence in education, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put it differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational



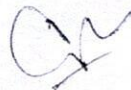
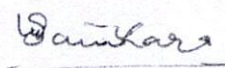
institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.

6. फीस के निर्धारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P.A.Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 (Seven Judges Bench) के पैरा-92 में वर्णित पर्यवेक्षण का भी यहां पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है:-

92. "Education, accepted as a useful activity, whether for charity or for profit, is an occupation. Nevertheless, it does not cease to be a service to the society. And even though an occupation, it can-not be equated to a trade or a business"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मॉडर्न डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य (AIR-2016, SC 2601) में भी सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख अपने निर्णय के पैरा 175 और 176 में किया है, जैसा कि अधिनियम, 2008 में भी वर्णित है:-

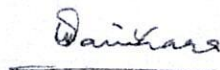
175: From the above discussion, it clearly emerges that in exercise of their "right to occupation", private institutions cannot transgress the rights of the students. Discernibly, the Act does not give unbridled power to the authority to determine the fee. Determination of fee has to be based on the factors stipulated in Section 9 of the Act. Further, an opportunity of appeal is also provided for in the Act. 2007 to the aggrieved. Fundamental rights of colleges to run their administration, includes fixation of fee. However, such right in turn has to be balanced with the rights of the students, so



that they are not subjected to exploitation in the form of profiteering.

176: For the foregoing discussion, I hold that the State has the legislative competence to enact the impugned legislation act 2007 to hold common entrance test for admission to professional educational institutions and to determine the fee and the High Court has rightly upheld the validity of the impugned legislation. Regulations sought to be imposed by the impugned legislation on admission by common entrancetest conducted by the State and determination of fee are in compliance of the directions and observations in T.M.A. Pai, (AIR 2003 SC 355) Islamic Academy of Education (AIR 2003 SC 3274) and P.A. Inamdar (AIR 2005 SC 3226). Regulations on admission process are necessary in the larger public interest and welfare of the student community to ensure fairness and transparency in the admission and to promote merit and excellence. Regulation on fixation of fee is to protect the rights of the students in having access to higher education without being subjected to exploitation in the form of profiteering. With the above reasonings, I concur with the majority view in upholding the validity of the impugned legislation and affirm the well merited decision of the High Court.

8. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि :-

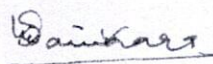


1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी:-

- (क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थिति:
- (ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृति:
- (ग) भूमि और भवन का मूल्य:
- (घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन, अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्कर:
- (ङ) प्रशासन तथा संधारण पर व्यय:
- (च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्य:
- (छ) कोई अन्य सुसंगत कारक :

9. इस तरह उपरोक्त धारा-9 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बिन्दु फीस के पुनरीक्षण/निर्धारण के लिए निर्धारित किए हैं, उनको भी ध्यान में रखने के लिए ए.एफ.आर.सी. के समिति द्वारा निम्नांकित संस्थाओं का वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा एवं अवलोकन किया गया :-

1. श्री महावीर मेडीकल कॉलेज ऑफ नैचरोपेथी एंड यौगिक साइंस पारस नगर, नगपुरा, जिला - दुर्ग (छ.ग) में संचालित बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण के पूर्व ए.एफ.आर.सी. द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिनांक 18/08/2026 को अवलोकन एवं चर्चा किया गया। चर्चा में संस्था के डॉ. अभिषेक साहू, प्रभारी प्राचार्य, उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। यह संस्था श्री लबधी विक्रमराज आरोग्यधाम संस्थान द्वारा संचालित है। संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए बी.



एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के लिये रु. 98,000/- प्रति वर्ष प्रति छात्र फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। महाविद्यालय में Central Council for Resarch in Yoga & Naturopathy के अनुरूप स्टॉफ नियुक्त है टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ तथा छात्र-छात्राएं कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट हैं। संस्था में छात्रावास उपलब्ध है, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लॉस रूम, प्रयोगशालाएँ उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में संस्था/समिति के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में रुपये 86,769.12/- का अतिरेक (Surplus) प्रदर्शित किया है। शैक्षणिक संस्था “ना लाभ ना हानि” के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

10. जहां तक लोन पर ब्याज का प्रश्न है, यह राशि छात्रों के ऊपर नहीं लादी जा सकती है, जैसा कि ऊपर PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923) वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया जा चुका है। यह तथ्य पूर्व में शासन द्वारा गठित फीस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति झा थे, के समक्ष भी आया था। उन्होंने लोन पर ब्याज को फीस की गणना में शामिल करने से इंकार किया है एवं सभी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क निर्धारण में यही सिद्धांत को समिति ने अपनाया भी है और यह इस्लामिक स्टेट सेंटर के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित है। संस्था को अपने स्रोतों का उपयोग करना चाहिए और उसके आधार पर ही राशि खर्च की जानी चाहिए। इस तरह के कोई भी व्यय



Bansal

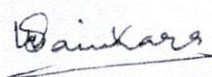


छात्रों के ऊपर नहीं लादे जा सकते, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं व्यापार और लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर वर्णित न्याय दृष्टान्तों से स्पष्ट है और अधिनियम, 2008 में भी इस बात का उल्लेख धारा-9 में है कि समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस शिक्षा में मुनाफाखोरी एवं उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

11. शिक्षण संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन आदि में जो राशि व्यय की जा रही है वह तो फीस के निर्धारण में विचार में ली ही जाएगी, लेकिन उतनी ही फीस स्वीकार योग्य रहेगी, जो शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगी। यदि शिक्षण संस्थाएं उससे अधिक राशि व्यय कर रही है, तो यह भार अतिरिक्त रूप से छात्रों पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता।
12. इसके अतिरिक्त समिति का यह भी अभिमत है कि संस्था द्वारा महत्वपूर्ण मद पर आवश्यक खर्च किए जा रहे हैं वह भी फीस के निर्धारण में विचार में लिए जाएंगे जो निम्नानुसार हैं:-

Prominent Heads (महत्वपूर्ण शीर्ष)

1. Teaching staff expenditure
2. Non-Teaching Staff expenditure
3. Workshop consumable
4. Electricity expenditure
5. Telephone, internet and softwares
6. Water & Cleaning expenditure
7. Travel & Conveyance
8. Repairing & Maintenance
9. Operation & Administrative expenses



10. Printing, Postage and Stationary
11. Insurance, Tax
12. Processing fees (AFRC, University, Council and Deptt)
13. Educational Tour exp.
14. Sports & NSS
15. Annual social exp.
16. Research & Development
17. Other misc. expenses

13. फीस निर्धारण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना भी उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग विज्ञान शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक छात्र उक्त शिक्षा प्राप्त कर सकें। अतः इस हेतु छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय को विचार में रखना आवश्यक है, वहीं यह भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित बी.एन.वाय.एस. महाविद्यालय ने अपने स्थापना आदि का खर्च सही रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे कि संस्था अपने शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें। अतः छात्र एवं महाविद्यालय दोनों के हितों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से फीस का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा पूर्व में फीस के निर्धारण को विचार में रखते हुए किया जाना युक्तिसंगत होगा। अतः इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए फीस का निर्धारण/पुनर्निर्धारण किया जा रहा है ।
14. इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा-156 में जो Observation (अवलोकन) उल्लेखित किया है वह निम्नानुसार है:-

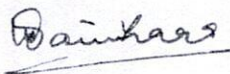


Danikara

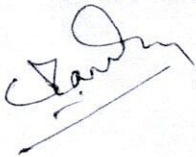


“While this court has not laid down any fixed guidelines as regards fee structure, in my opinion, reasonable surplus should ordinarily vary from 6% to 15% as such surplus would be utilized for expansion of the system and development of education”

15. सामान्य तौर पर शिक्षण संस्थाओं के फीस का निर्धारण करने के लिए अनेक बिंदु पर विचार किया जाता है। फीस निर्धारण के लिए भारतवर्ष एवं राज्यों के आर्थिक आंकड़ों को विचार में लिया जा सकता है।
16. भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जो होलसेल प्राईस इण्डेक्स वर्ष 2011-12 को आधारवर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 155, वर्ष 2024-25 में 154.5 एवं वर्ष 2025-26 में 158.2 वर्णित है।
17. इसी तरह इन्फ्लेशन इण्डेक्स का भी उल्लेख यहां किया जाना समुचित है जिसमें वर्ष 2001-02 को आधारवर्ष मानते हुए गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 प्रतिशत, वर्ष 2024-25 में 4 प्रतिशत, वर्ष 2025-26 में 3.4 प्रतिशत अनुमानित अंक पाये गये।
18. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है। इस राज्य में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रु. 1,62,870/- है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रु. 1,69,050/- है, महाराष्ट्र में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रु. 3,47,903/- एवं भारत की वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रु. 2,20,000/- है।



19. जैसा कि ऊपर प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ धनी राज्यों की श्रेणी में नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता अत्यधिक खर्च उठाने के लिए सक्षम भी नहीं है और फीस निर्धारण करने के समय छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। संबंधित महाविद्यालय की गुणवत्ता एवं पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तथा छ.ग. की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को विचार में रखते हुए जबकि छ.ग. राज्य एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आमदनी अन्य वर्ग की अपेक्षा निश्चित रूप से कम होती है, को विचार में रखते हुए प्रदेश के छात्र कम से कम अपने राज्य में बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।
20. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी और कॉलेजों के फीस निर्धारण के लिए संस्था और छात्र दोनों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए मुख्यतः कॉलेज चलाने हेतु दिन-प्रतिदिन होने वाले खर्च मुख्य रूप से-शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ का वेतन, विद्युत खर्च, प्रशासनिक खर्च और मेन्टेनेंस तथा डव्हलपमेंट खर्च ही आते हैं। शैक्षणिक संस्था की संबंधित समिति या कंपनी ने ऋण के लिए ब्याज जो अदा किया है उसे खर्चों में शामिल नहीं किया जा सकता जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है। अतः संस्था की फीस के निर्धारण में प्रचलित मुद्रा स्फीति दर के साथ अतिरिक्त विकास के लिए प्रावधानानुसार जोड़ा जाना उचित होगा ताकि संस्था NCISM के मानक मापदण्डों का पालन करने में सक्षम हो सके।





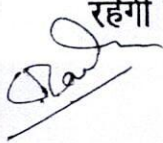

21. पूर्व में इस संस्था में संचालित बी.एन.बाय.एस. पाठ्यक्रम हेतु ए.एफ.आर.सी. द्वारा फीस निर्धारित किया गया था, जो निम्नवत् है :-

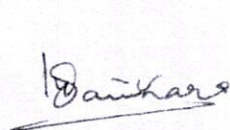
स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का अंतिम निर्धारण किया गया	कुल फीस प्रति वर्ष/प्रति छात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी, लेबोरेटरी, ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी फीस)
1.	श्री महावीर मेडीकल कॉलेज ऑफ नैचरोपेथी एंड यौगिक साइंस पारस नगर, नगपुरा, जिला - दुर्ग (छ.ग)	2023-2024 2024-2025 2025-2026	Rs. 65,800/-

22. तदनुसार ए.एफ.आर.सी. द्वारा निम्नांकित संस्थाओं में संचालित बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उनके नाम के सम्मुख वर्षों के लिए किया जाता है। जो पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगी :-

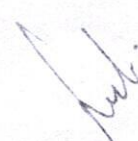
स. क्र.	महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का अंतिम निर्धारण/ पुनर्निर्धारण किया गया	कुल फीस प्रति वर्ष/प्रति छात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी, लेबोरेटरी, ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी फीस)
1.	श्री महावीर मेडीकल कॉलेज ऑफ नैचरोपेथी एंड यौगिक साइंस पारस नगर, नगपुरा, जिला - दुर्ग (छ.ग)	2026-2027 2027-2028 2028-2029	Rs.75,000/-

23. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें



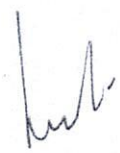
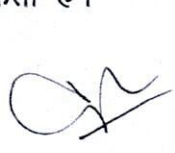
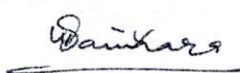
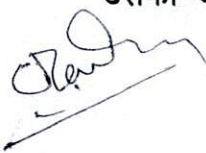






यह स्वैच्छिक है। छात्रावास, मेस एवं ट्रांस्पॉर्टेशन शुल्क “न लाभ न हानि” (NO PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा।

24. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी। प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
25. संस्था छात्र से रु. 2,000/- (रुपए दो हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी।
26. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के ऊपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
27. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काउंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा।
28. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है।
29. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र एवं माईग्रेशन प्रमाणपत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाणपत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाणपत्र आदि) जमा नहीं कराया जावेगा। केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है।



30. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रु. 10/- (रुपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं दूसरे महीने से रु. 15/- (रुपये पन्द्रह मात्र) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी।
31. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई. डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस आदि मदों भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में वसूल नहीं कर सकेगी।
32. WP(C) 1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी। अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी।
33. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा ही ली या वापस की जा सकेगी।
34. ए.एफ.आर.सी. समिति द्वारा जो अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है यदि संस्था से अंतिम शुल्क की राशि यदि छात्रों से कम ली गयी है तो संबंधित छात्र एक माह के भीतर संस्था में जमा करेंगे और यदि संस्था ने छात्रों से अतिरिक्त राशि ली है तो संस्था भी एक माह के भीतर यह राशि छात्रों को विधिवत बैंक के माध्यम से



Wainkara



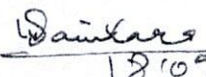
जैसे:-चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा वापस करेंगे जिसकी सूचना ए.एफ.आर.सी. कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।

35. संस्था प्रतिवर्ष गतवर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी ।
36. संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 22 से 34 तक की जानकारीयां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेबसाईट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से ए.एफ.आर.सी. को सूचित करेंगे ।

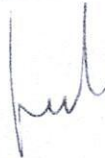
अतः यह ए.एफ.आर.सी. उपरोक्त कंडिका 22 में वर्णित संस्था में संचालित बी.एन.वाय.एस. पाठ्यक्रम के अधोसंरचना और अन्य आधार पर उनके सम्मुख वर्षों के लिए शैक्षणिक शुल्क का अंतिम निर्धारण करती है ।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाईट में अपलोड हेतु संचालक, आयुष छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर भेजी जाएं ।


(डॉ. एस.के.पाण्डेय)
अध्यक्ष
ए.एफ.आर.सी.


(डॉ. यू.एस. पैकरा)
सदस्य (पदेन)
संचालक, चिकित्सा शिक्षा
ए.एफ.आर.सी.


सदस्य (पदेन)
संचालक, तकनीकी शिक्षा
ए.एफ.आर.सी.


(अमित चिमनानी)
सदस्य (वित्त)
ए.एफ.आर.सी.